विधान परिषद के द्वितीय सत्र–2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
9 (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बताएंगे की प्रयागराज व झॉसी मण्डल के अन्तर्गत समाज कल्याण की कौन–कौन सी योजनाएं प्रचलित है और उनसे जनता को कितना लाभ प्राप्त हुआ है?	झॉसी एवं प्रयागराज मण्डलों के सभी जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्य मंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना, उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अन्तर्गत वृद्धाश्रम, अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता योजना, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास संचालित हैं। इन सभी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।
(ख) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	विवरण संलग्न है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
समाज कल्याण विभाग

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–09 का विवरण

01. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना– योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों, जो बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी हैं, अर्थात जिसकी आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– वार्षिक से कम है, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, ऐसे पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–6/26–2–2023–3(10)/2019 दिनांक 19 जनवरी, 2023 के अनुपालन में आधार बेस्ड भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

02. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना– योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि रू0 30000/– एकमुश्त दिये जाने का प्राविधान है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in में आधार प्रमाणीकरण, आवेदक के आय प्रमाण पत्र का ऑनलाईन सत्यापन तथा मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र का लाइव मिलान भारत सरकार के CRS Portal (Common Registration System) से कराये जाने की व्यवस्था कराते हुए एन0आई0सी0 स्तर पर नवीन वेबसाईट बनायी गयी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या–'20 दिनांक 10 जून, 2016 में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नवीन शासनादेश शासन स्तर से जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासन स्तर से बजट प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों को नवीन प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जायेगी।

03. छात्रवृत्ति वितरण योजना :–वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023–24 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजना में ऑन लाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तातिव समय सारिणी शासन के पत्र संख्या–56/202326–3–2023 दिनांक 28 जुलाई, 2023 द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2023 से 08 जनवरी, 2024 तक के लिये प्रकियात्मक कार्यवाही हेतु जारी की गयी है। समय–सारिणी के अनुसार पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत समस्त पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा। अभी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी एवं नियमावली संशोधन हेतु शासन में प्रकियाधीन है।

04. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना– समाज में सर्वधर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मो के रीति–रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यकम सम्पन्न कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज मण्डल में 587 जोड़ो को योजना से लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह जुलाई में ऑन लाइन पोर्टल लागू किया गया, लेकिन अभी तक विकास खण्ड स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर लॉगिन/पासवर्ड प्राप्त नही हुआ है, जिसमें विवाह हेतु ऑन लाइन किये गये आवेदनों को जांचोपरान्त नियमानुसार सामूहिक विवाह सम्पन्न कराते हुए लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा।

05. मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना :–मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्थित तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा–सिविल सेवा, जे.ई.ई., नीट, एन.डी.ए., सी.डी.एस. इत्यादि के संबंध में समुचित मार्गदर्शन देकर उनके उत्थान की दिशा में सार्थक प्रयास करने के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल मुख्यालयों में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सभी संवर्गों हेतु संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज मण्डल में 495 एवं झांसी मण्डल में 494 छात्रों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

06. उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन :–माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 32 के अधीन उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 दिनांक 24.02.2014 को प्रकाशित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज मण्डल में 305 एवं झांसी मण्डल में 279 वृद्धजनों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

07. अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता :–अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम 85,000/– रूपये से लेकर 8,25,000/– रूपये तक की सहायता घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज एवं झांसी मण्डल के समस्त जनपदों हेतु रू0 10.00 लाख प्रति जनपद हेतु शासन/विभाग से धनावंटन किया गया है। उपलब्ध धनराशि से सक्षम समिति द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृति उपरान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।

08. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज मण्डल में 11 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 3863 छात्र/छात्रायें अद्ययनरत/निवासरत हैं एवं झांसी मण्डल में 4 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 1331 छात्र/छात्रायें अद्ययनरत/निवासरत हैं।

09. राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावास :– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के आवासीय समस्याओं के निदान हेतु छात्रावासों का संचालन कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रयागराज मण्डल में 19 छात्रावास संचालित हैं, जिसमें 948 बालक/बालिका निवासरत हैं एवं झांसी मण्डल में 12 छात्रावास संचालित हैं, जिसमें 295 बालक/बालिका निवासरत हैं।

* * *